26/12/16 को पेश हों

26.12.16 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल वकील उपस्थित।

मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मेड़ता ने भू अभिलेखि निरीक्षक मेड़ता से सत्यापित एक रिपोर्ट पेश की है कि रामकरण प्रजापत पदाधिकारी श्री देवराणी विकास सरोवर समिति मेड़ता ने मौजा मेड़ता के खसरा नं. 2485 रक़बा 0.01 हैक्टयर गैर मुमकिन नाडी की जमीन पर पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा किया है।

इस पर गैर सायल को धारा 91 एलआर एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। गैर सायल जरिये वकील के तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ और जवाब पेश किया। वहीं छोटूनाथ चेला दशरथनाथ ने जरिये वकील के वकालतनामा एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की साईटेशन की प्रति अ0 रहमान बनाम राजस्थान सरकार की प्रति भी पेश की है।

गैर सायल की ओर से प्रस्तुत किये गये जवाब में बताया कि खसरा नं. 2485 गैर मुमकिन नाडी जो वर्षो पुरानी है उसके लिए सरोवर विकास समिति बनाई। समिति ने जन सहयोग से दीवार व पाल लगाकर सरोवर को सुरक्षित किया। जिससे यह पानी पीने के लायक बन गया। जहां पर लोग वर्षो से चबूतरों को दाना डालते है। सरोवर की पाल पर वर्षो से पुराना कमरा बना हुआ था। गैर सायल का देवराणी सरोवर तालाब में कोई नीजी हित नहीं है और ना ही अतिक्रमण किया है और ना ही करवाया है।

गैर सायल द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब पर पटवारी हल्का मेड़ता से पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई जिसमें पटवारी हल्का मेड़ता ने बताया कि सरोवर विकास समिति ने कबूतर भण्डार के नाम पर नवीन निर्माण कर अतिक्रमण किया है, निर्माण पुराना नहीं है।

अतः गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण हेतु लगान 0.08 का 50 गुणा से रूपये 4/- अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का व टीआरए सूचित हो। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार, मेड़ता

2016-17 ... 4
... 21 ...